यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चम्बा, टिहरी, उत्तराखंड** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

यह कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चम्बा, टिहरी, उत्तराखंड के माह 04/2013 से 12/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय त्यागी, श्री मुकेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री वीपीएस नेगी, व. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 18.1.2021 से 25.1.2021 तक श्री पुष्कर, व. लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मकः</u> यह इकाई की स्वतंत्र रूप से प्रथम लेखापरीक्षा है।** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा आईटीआई, टिहरी (नोडल) के लेखापरीक्षा के साथ संपादित किया जाता था। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2013 से 12/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच संपादित की गयी।
2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**- इस संस्थान मे प्रशिक्षार्थियों को उद्योगों की आवश्यकतानुसार भारत सरकार डीजीटी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर अनुदेशकों द्वारा विभिन्न व्यवसायों मे तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान की जाती है। कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र उत्तराखंड के गढ़वाल मण्डल के टिहरी जिला (विशेषकर चम्बा के क्षेत्र) के सम्पूर्ण क्षेत्र है।

   (ii) (अ) लेखापरीक्षा अवधि का बजट आबंटन एवं व्यय (राज्य सैक्टर) की स्थिति निम्नवत हैः

   (₹`लाख में)

वर्ष	योजना का नाम/लेखाशीर्ष) (कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग)	आवंटन	व्यय	समर्पण/बचत
2013-14	2230	69.51	65.30	4.21
2014-15	2230	88.33	76.55	11.78
2015-16	2230	103.85	88.63	15.22
2016-17	2230	106.44	94.22	12.22
2017-18	2230	103.21	95.86	7.35
2018-19	2230	127.19	117.14	10.05
2019-20	2230	20.22	119.52	-99.30
2020-21 (12/20)	2230	14.55	106.48	-91.93

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम/लेखाशीर्ष**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**आवंटन**	**योग**	**व्यय**	**अंतिम अवशेष (बैंक में)**
2013-14	--------NIL----------					
2014-15						
2015-16						
2016-17						
2017-18						
2018-19						
2019-20						
2020-21 (12/20)						

(ii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य श्रोत राज्य सरकार/केंद्र सरकार है। स्थापना एवं गैर स्थापना व्यय/योजनांतरगत व्यय को सम्मलित करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है।

3 (i) विभाग का संगठनात्मक (उत्तराखंड शासन) ढांचा निम्नवत हैः-

1. सचिव
2. अपर सचिव
3. निदेशक
4. अपर निदेशक
5. प्रधानाचार्य
6. अनुदेशक
7. समूह ग एवं घ कर्मचारी
8. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः**- लेखापरीक्षा में **कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चंबा, टिहरी, उत्तराखंड** के 04/2013 से 12/2020 की अवधि को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चंबा, टिहरी, उत्तराखंड** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। इस लेखापरीक्षा मे माह 12/19, 6/18, 7/19, 10/17 (Treasury head-BM 5) & 12/19, 3/15, 12/13, 2/19 (IMC) को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय की धनराशि के आधार पर किया गया।

(ii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा- 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2'ब'

प्रस्तर01:- धनराशि ` 29.82 लाख सरकार के राजस्व खाते मे जमा नहीं किया जाना।

1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चम्बा, टिहरी मे संचालित छात्रावास से संबंधी अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि छात्रावास से प्राप्त शुल्क की धनराशि को आईएमसी के बैंक खाते मे जमा किया जा रहा है जबकि नियमानुसार इसे सरकार के राजस्व खाते मे जमा किया जाना चाहिए था। विवरण निम्नवत है:

(` मे)

वर्ष	छात्रावास मे रहने वाले प्रशिक्षार्थी संख्या	प्रशिक्षार्थी दर प्रति माह	माह की संख्या		कुल प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि	बैंक खाते मे अवशेष धनराशि
			संख्या	धनराशि			
2016-17	17	250	12	3000	51000	-	51000/-
2017-18	35	250	12	3000	105000	-	105000/-
2018-19	33	250	12	3000	99000	-	99000/-
2019-20	39	250	12	3000	117000	9825	107175/-
2020-21	28	250	12	3000	8400	-	84000/-
				योग	**456000**		**446175/-**

2) इसी प्रकार लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2008 से वर्ष 2020 तक इकाई मे आईएमसी के अंतर्गत प्राप्त प्रशिक्षण शुल्क धनराशि रु 2315125/- आईएमसी के बैंक खाते मे जमा किया जाना पाया गया जबकि इसे भी राजस्व खाते मे जमा किया जाना चाहिए था।

3) लेखापरीक्षा ने आगे जांच मे पाया कि संस्थान के अनुदेशकों द्वारा टीएचडीसी कार्मिकों को प्रशिक्षण कार्यशाला के अंतर्गत कम्प्युटर प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके सापेक्ष टीएचडीसी के द्वारा संस्थान को व्यवसायिक फीस का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2008 से वर्ष 2020 तक इस प्रशिक्षण हेतु टीएचडीसी के द्वारा संस्थान को कुल धनराशि रु 220500/- का भुगतान किया गया जो कि आईएमसी के बैंक खाते मे जमा किया जाना पाया गया। जबकि इसे राजस्व खाते मे जमा किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त विंदुओं को इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि:

इस संबंध मे किसी प्रकार का दिशानिर्देश प्राप्त नहीं होने के कारण धनराशि को आईएमसी के बैंक खाते मे जमा किया गया है। इस संदर्भ मे निदेशालय से दिशा-निर्देश प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि संस्थान के द्वारा इस संबंध मे किसी भी प्रकार का दिशानिर्देश प्राप्त करने हेतु निदेशालय से किसी भी प्रकार का पत्राचार पूर्व मे नहीं किया जाना पाया गया। उक्त प्राप्त धनराशि राजस्व अर्जन कि श्रेणी मे आता है अतः इसे सरकार के राजस्व खाते मे जमा किया जाना चाहिए था न कि बैंक खाते मे।इकाई द्वारा राजस्व खाते मे लेखापरीक्षा तिथि तक धनराशि ` 29.82 लाख (` 446175/-+2315125/-+220500/-) जमा नहीं किए जाने के प्रकरण को शासन एवं उच्चाधिकारी के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग - 2'ब'

प्रस्तर02: आईएमसी के दिशानिर्देशों के अनुसार धनराशि `35.55 लाख का राजस्व अर्जन नहीं किया जाना।

As per the IMC guidelines, a target for revenue generation has been fixed as `5.00 lakh, `10.00 lakh and `15.00 lakh for the year 2014-15, 2015-16 and 2016-17 respectively under the set KPIs (July 2014). As per the agreed terms spelt out in the MoA, the State Government as the owner of the ITI, can continue to regulate admissions and fees for the regular training courses in the ITI except upto 20% of the admission which are to be determined by the IMC. This provision was introduced to mobilize additional resources for the IMCs and was approved by the Union Cabinet. The State Governments are, therefore, requested to kindly note this for immediate compliance and delegates the IMCs adequate powers for the same. Orders restraining the IMCs to determine 20% admission, if any should be withdrawn immediately.

लेखापरीक्षा मे कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक संस्थान, नरेन्द्रनगर, टिहरी देहारादून की आईएमसी से संबंधित लेखाभिलेखों की संवीक्षा मे पाया गया कि इकाई को उच्चीकरण एवं सुद्धढ़ीकरण किए जाने के उद्देश्य से भारत सरकार से जुलाई 2008 मे `250.00 लाख प्राप्त हुए। लेखापरीक्षा द्वारा जांच मे पाया गया कि इकाई द्वारा आईएमसी के अंतर्गत प्राप्त बजट से निम्न मद मे व्यय किया गया:

Type of Expenditure (as per QPR)	Total since beginning of the scheme (in `)
Civil Works	3813927/-
Tools, Machinery & Equipment	9321215/-
Furniture & furnishing	691095/-
Books and Learning Resources	353183/-
Additional man power	6166540/-
Consumables, maintenance and training material	698285/-
Miscellaneous expenditure	2843293/-
Total Expenditure	**23887539/-**

उक्त से संबन्धित अभिलेखों के नमूना जांच मे निम्न कमियाँ/तथ्य प्रकाश मे आया:

1) आईएमसी के दिशानिर्देशानुसार इकाई को आईएमसी के अंतर्गत उच्चिकृत ट्रेड के माध्यम से राजस्व का अर्जन करना, प्राप्ति करना एवं उसका सदुपयोग करना भी है। उक्त दिशानिर्देश मे दिये गए लक्ष्य के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 & 2016-17 मे कम से कम `30.00 लाख के राजस्व का अर्जन किया जाना था। इकाई के द्वारा अपने अनुमोदित IDP (06/2015) मे भी उक्त दिशानिर्देश के सापेक्ष वर्षवार राजस्व अर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया था जो कि इस प्रकार है:

Key Performance Indicator (KPI)	Year 2014-15	Year 2015-16	Year 2016-17	Year 2017-18	Year 2018-19	**Total**
Revenue Generation	5 Lakhs	10 Lakhs	15 Lakhs	17 Lakhs	20 Lakhs	**67 Lakhs**

लेखापरीक्षा ने इकाई मे आईएमसी के अंतर्गत उच्चिकृत एवं नए ट्रेड के माध्यम से लेखापरीक्षा तिथि तक राजस्व प्राप्ति का अर्जन शून्य पाया गया जो कि अर्जन नहीं किए जाने के कारण राजस्व हानि की श्रेणी मे आता है। वर्तमान मे भी इकाई द्वारा किसी भी प्रकार का राजस्व अर्जन नहीं किया जा रहा है।

2) आईएमसी के दिशानिर्देश के अनुसार आईएमसी के अंतर्गत एनसीवीटी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त उच्चिकृत/नए व्यवसाय/ट्रेड मे प्रवेश मे आईएमसी के कोटे से 20 प्रतिशत सीटों का आरक्षण/एड्मिशन किया जाना अनिवार्य है। लेखापरीक्षा ने पाया कि नियमानुसार संस्थान मे आईएमसी के अंतर्गत एनसीवीटी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त उच्चिकृत/नए व्यवसाय/ट्रेड मे वर्ष 2008 से वर्ष 2020 के अंतर्गत आईएमसी के कोटे से विभिन्न ट्रेड मे आरक्षित कुल 348 सीट मे से सिर्फ 237 सीट पर ही नामांकन किया गया तथा आईएमसी के कोटे के 111 सीट को नहीं भरा गया। इस प्रकार 111 सीट पर नामांकन नहीं किए जाने से इकाई को राजस्व प्राप्ति के रूप मे धनराशि **रु 555000/- (111x5000)** की हानि हुयी।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त विंदुओं को इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि:

बिन्दु संख्या 01- IMC कोटे के अंतर्गत प्रवेशित प्रशिक्षार्थियों का प्रशिक्षण एवं प्रवेश शुल्क से राजस्व अर्जन किया जाता, अन्य श्रोत से राजस्व अर्जन नहीं किया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि छात्रों से लिया गया प्रशिक्षण एवं प्रवेश शुल्क आईएमसी के दिशानिर्देश के अनुसार राजस्व अर्जन की श्रेणी मे नहीं आता है।

बिदु संख्या 02- आईएमसी कोटे की सीटों पर राजकीय कोटे के सीटों से शुल्क अधिक होने के कारण कुछ सीटे रिक्त रह जाती है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा मे इकाई द्वारा आईएमसी कोटे से अधिक से अधिक संख्या मे प्रवेश लिए जाने से संबन्धित किए गए प्रयास लेखाभिलेखों मे नहीं पाये गए। संस्थान द्वारा आईएमसी के दिशानिर्देश के अनुसार संस्थान के सीटों पर प्रवेश नही लिए जा रहें है।

अतः उक्त प्रकरण शासन एवं उच्चाधिकारी के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग - 2'ब'

प्रस्तर03:- संस्थान को Income Tax Department से आयकर कटौती (TDS) की धनराशि ` 14.34 लाख का refund नहीं प्राप्त होना।

Chartered Accountant (सीए) द्वारा आईएमसी निधि का तैयार किया गया वार्षिक प्रतिवेदन (ऑडिट रिपोर्ट) के Balance Sheet मे पाया गया कि लेखापरीक्षा तिथि तक बैंक द्वारा टीडीएस कटौती की कुल धनराशि रु 1639323/- संस्थान को Income Tax Department के द्वारा refund नहीं किया गया है जो कि संस्थान को प्राप्त होनी थी क्योंकि आईएमसी Society Act के अंतर्गत पंजीकृत है। टीडीएस वापसी की लंबित धनराशि वर्ष 2010-11 से वर्ष 2019-20 तक की है। विवरण निम्नवत है:

वर्ष	टीडीएस कटौती की धनराशि (`)
TDS:2010-11	341432/-
TDS:2013-14	199204/-
TDS:2014-15	190300/-
TDS:2015-16	193274/-
TDS:2016-17	178303/-
TDS:2017-18	179125/-
TDS:2018-19	186953/-
TDS:2019-20	170732/-
Total	**1639323/-**

लेखापरीक्षा द्वारा टीडीएस की धनराशि संस्थान को आयकर विभाग द्वारा संस्थान को refund नहीं होने के प्रकरण को इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि दिनांक 10.11.2020 को वित्तीय वर्ष 2019-20 का TDS tax refund धनराशि ` 205640/- प्राप्त हुआ है। अवशेष धनराशि आयकर विभाग से रिफ़ंड हेतु सीए से पत्राचार किया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योकि टीडीएस कटौती की धनराशि विगत कई वर्षो से रिफ़ंड हेतु लंबित है जबकि इकाई मे बैलेन्स शीट तैयार करने हेतु सीए नियुक्त है एवं इसके लिए सीए को नियमित रूप से भुगतान भी किया जाता है। सीए की यह ड्यूटि है कि टीडीएस रिफ़ंड की धनराशि यथाशीघ्र संस्थान के बैंक खाते मे प्राप्त हो।

अतः Income Tax Department से आयकर कटौती की धनराशि ` 14.34 लाख का refund संस्थान को लेखापरीक्षा तिथि तक नहीं प्राप्त होने के प्रकरण को उच्चाधिकारी के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर04:- IMC योजना से संबन्धित चयनित माह के ₹3.62 लाख के बिल/वाउचरो एवं ₹11.06 लाख के कम्प्युटर क्रय से संबन्धित दस्तावेज़ की प्रविष्टि शासनादेश के विरुद्ध रोकड़ वही मे न करना एवं जांच/मिलान हेतु सम्प्रेक्षा के समक्ष प्रस्तुत न करने के सम्बंध मे ।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-05, भाग-02 के परिशिष्ट 27 ए के अनुसार फॉर्म न0-02 मे वही लिखी जाएगी जिसमे प्राप्ति पक्ष मे समस्त नगद प्राप्तियों को प्राप्ति रशीद से मिलान करके आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा । कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चम्बा जनपद- टिहरी गढ़वाल के बैंक स्टेटमेंट एवं बिल/वाउचर पत्रावली की जांच मे सम्प्रेक्षा द्वारा पाया गया कि विभाग स्तर पर रोकड़ बही का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण सम्प्रेक्षा द्वारा रोकड़ वही की 100% जांच हेतु चयनित TEST month12/2013 जो IMC योजना से संबन्धित था, के ₹3.62 लाख के बिल/वाउचरो को इकाई द्वारा रोकड़ वही का रख-रखाव न करने के कारण रोकड़ बही मे संस्था द्वारा अंकित करना नहीं पाया गया था, एवं न ही उक्त vouchers को संस्थान द्वारा सम्प्रेक्षा के अवलोंकनार्थ/ नमूना जांच हेतु प्रस्तुत किया गया था ।

आगे सम्प्रेक्षा द्वारा जांच मे पाया गया कि विभाग द्वारा रोकड़ वही की 100% जांच हेतु चयनित TEST month 03/2015 जो IMC योजना से संबन्धित था के अन्तर्गत ₹11.06 लाख के कम्प्युटर क्रय किये गए थे, विभाग द्वारा उनके vouchers से संबन्धित अभिलेख तो प्रस्तुत किये परन्तु आपूर्तिकर्ता के चुनाव से संबन्धित कोटेशन/निविदा दस्तावेजो, Comparative Statement एवं कम्प्युटर क्रय की पद्धति जैसे - डीजीएस&डी ,GEM आदि से संबन्धित documents को सम्प्रेक्षा के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया था । वाउचरो की प्रविष्टि शासनादेश के विरुद्ध रोकड़ बही मे न करना एवं जांच/मिलान हेतु सम्प्रेक्षा के समक्ष प्रस्तुत न करना शासनादेश का उल्लंघन था । इस संबंध मे सम्प्रेक्षा द्वारा विभाग से इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे अवगत कराया हैं कि समस्त vouchers की रोकड़ वही मे प्रविष्टि एवं उनका अवलोकन आगामी सम्प्रेक्षा मे सम्प्रेक्षा दल को करा दिया जाएगा । सम्प्रेक्षा मे विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-05, भाग-02 के परिशिष्ट 27 ए के अनुसार विभाग को रोकड़ बही का रख-रखाव करना ,जिसमे प्राप्ति पक्ष मे समस्त नगद प्राप्तियों को प्राप्ति रशीद से मिलान करके आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित करना एवं vouchers को सम्प्रेक्षा के अवलोंकनार्थ/ नमूना जांच हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य था, परन्तु विभाग के DDO द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया था। प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं ।

<u>भाग-दो ब</u>

प्रस्तर 05:- कौशन निधि खाते से विभिन्न 874 **छात्रो एवं छात्राओ की धरोहर धनराशि ₹ 11500.00 को वापस न लौटाया जाना एवं शासनादेश का उल्लंघन कर ₹ 23555.00 की धनराशि का निदेशक परीक्षा परिषद के खाते मे जमा कराना ।**

कॉलेज द्वारा छात्रो एवं छात्राओ से कॉलेज मे प्रवेश के समय धरोहर के तौर पर कुछ धनराशि ली जाती हैं जिसको शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए/45/85, दिनांक 10.07.1986 के अंतर्गत कॉलेज मे छात्रनिधियों के रख रखाव एवं उपयोग संबंधित नियम/ मार्ग दर्शन बनाए गए है एवं इस प्रयोजन हेतु कॉलेज मे छात्रनिधिया संचालित किए जाने का प्रावधान किया गया था जिस पर प्राचार्य का पूर्ण नियंत्रण निर्धारित था। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या 06 मे स्पष्ट हैं कि यदि कोई छात्र कॉलेज छोड़ने के तीन वर्ष पश्चात तक अपनी कौशन मनी वापस लेने के लिए आवदेन पत्र' नहीं देता तो यह राशि लेप्स हो जाएगी । संप्रेक्षा द्वारा कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चम्बा जनपद- टिहरी गढ़वालके छात्र निधि खाते की जांच मे पाया गया कि कॉलेज के कौशन निधि खाते मे विभिन्न छात्रो एवं छात्राओ की धरोहर धनराशि ₹**11500/-** की वर्ष **2013-14** से **2018-19** (सम्प्रेक्षा तिथि-01/21 तक) तक लम्बित पड़ी थी , उपरोक्त धनराशि मे से संप्रेक्षा तिथि **01/21** तक ₹ शून्य की धनराशि को छात्रो एवं छात्राओ के उनके कॉलेज छोड़ने पर लौटाया गया था । जबकि नियमानुसार उक्त धनराशि ₹**11500.00.**को छात्रो एवं छात्राओ को उनके कॉलेज छोड़ने पर लौटाया जाना चाहिये था । आगे इस संबंध मे जांच मे पाया गया कि संस्थान द्वारा शासनादेश के बिन्दु संख्या-05 का उल्लंघन कर कौशन निधि खाते मे विभिन्न छात्रो एवं छात्राओ की जमा धरोहर धनराशि ₹23555.00 को निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय हल्द्वानी के पत्रांक संख्या-3029/डी0टी0यू0/प0नि0/अव0/ दिनाक-06/06/20 को निदेशक परीक्षा परिषद के खाते मे जमा कराया गया । जबकि शासनादेश के बिन्दु संख्या-07 के अनुसार उक्त धनराशि के **lapse** होने के उपरांत कॉलेज को छात्र /छात्राओ के विकास कार्यो एवं अन्य विकास सम्बन्धी सुविधाये उपलब्ध कराने एवं युवाओ के उत्थान से संबन्धित गतिविधिया जैसे-खेल कार्यक्रम , छात्रावासो मे शुद्ध पानी,विद्युत, एवं मनोरंजन एवं कम्प्युटर आदि की व्यवस्था आदि मे व्यय करना चाहिए था परन्तु उक्त संस्थान द्वारा इस सम्बंध मे उक्त शासनादेश के अनुपालन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था न ही उक्त के सम्बंध मे उक्त धनराशि के कॉलेज की गतिविधियो मे व्यय करने हेतु शासन/निदेशालय स्तर से भी कोई दिशा निर्देश प्राप्त किए गए थे । उक्त के संबंध मे संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कॉलेज ने तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि की तथा सम्प्रेक्षा को अवगत कराया कि छात्रो एवं छात्राओ के द्वारा धरोहर धनराशि र **11500/-** कॉलेज छोड़ने पर तीन वर्ष के अंदर कौशन मनी वापस लेनी चाहिये थी परंतु किसी भी छात्र एवं छात्राओ द्वारा धनराशि वापस लेने के लिए कॉलेज मे आवदेन नहीं किया गया था । विभाग का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि इकाई द्वारा न तो धनराशि वापस करने के संबंध मे शासन/निदेशालय स्तर से भी कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं किए गए थे एवं न ही उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या 06 के अनुपालन मे कारवाई की, जिसमे स्पष्ट हैं कि यदि कोई छात्र कॉलेज छोड़ने के तीन वर्ष पश्चात तक अपनी कौशन मनी वापस लेने के लिए आवदेन पत्र' नहीं देता तो यह राशि लैप्स हो जाएगी उक्त नियम के संज्ञान के बाबजुद इकाई द्वारा छात्रो को कोई नोटिस या ज्ञापन भी उपलब्ध नहीं कराया गया था जो प्रधानाचार्य स्तर पर गंभीर चूक थी न ही उक्त धनराशि के **lapse** होने के उपरांत कॉलेज ने उक्त धनराशि के छात्र /छात्राओ के विकास कार्यो एवं अन्य विकास सम्बन्धी सुविधाये उपलब्ध कराने एवं युवाओ के

उत्थान से संबन्धित गतिविधियाँ जैसे -खेल कार्यक्रम, छात्रावासो मे शुद्ध पानी, विद्युत, एवं मनोरंजन एवं कम्प्युटर आदि की व्यवस्था आदि मे व्यय करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था न ही उक्त के सम्बंध मे उक्त धनराशि के कॉलेज की गतिविधियो मे व्यय करने हेतु शासन/निदेशालय स्तर से भी कोई दिशा निर्देश प्राप्त किए गए थे । प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

<u>भाग - 2 ब</u>

प्रस्तर 06- पर्याप्त पहुँच मार्ग न होने के कारण बंद पड़े व्यवसाय मोटर मैकेनिक की मशीन-टूल्स अक्रियाशील पाया जाना ।

कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चम्बा की लेखापरीक्षा मे तथ्य प्रकाश मे आया कि माह अप्रैल 2005 से पूर्व संस्थान का संचालन शासकीय भवन मे हो रहा था जहां वर्ष 1986 से NCTV भारत सरकार द्वारा प्राप्त मान्यता के अन्तर्गत उक्त कोर्स का संचालन संस्थान मे किया जा रहा था परंतु शासकीय निर्मित भवन मे संस्थान का हस्तांतरण के बाद संबन्धित व्यवसाय का संचालन बंद पाया गया । अभिलेखो कि जांच मे पाया गया कि भवन का पहुँच मार्ग पर्याप्त न होने के कारण बड़ी मशीनो को वर्कशॉप तक पहुंचाना संभव न होने के कारण मोटर मेकेनिक व्यवसाय का संचालन नहीं किया जा सका। उपलब्ध अभिलेखो मे वर्णित पाया गया कि बंद पड़े व्यवसाय के अक्रियाशील मशीन टूल्स को कार्यालय के स्टॉक पंजिका मे दर्ज नहीं किया गया था तथा उनका पंजिका विवरण का रखरखाव न होने के कारण सम्पत्ति का आकलन मे पारदर्शिता का अभाव पाया गया । अक्रियाशील पड़ी मशीनो के अन्य सस्थान जहां आवश्यकता थी , हस्तांतरण के संबंध मे किए गए विभागीय पत्राचार मे उदासीनता देखी गयी तथा औद्योगिक प्रशिक्षण कि अवधारणा के अन्तर्गत एन॰सी॰वी॰टी॰ से अनुबंधित रोजगारपरक कोर्स पहुँच मार्ग का निवारण लम्बित होने के कारण प्रभावित पाया गया ।

इस ओर इंगित किए जाने पार इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि सस्थान मे मोटर मैकेनिक व्यवसाय को मोटर मार्ग न होने के कारण संचालित नहीं किया जा सका। पूर्ण-कालिक प्रधानाचार्य का न होना तथा समय-समय पार ग्रामीणों द्वारा आपत्ति लगाए जाने के कारण सम्पर्क मार्ग बनाने मे विलंब हो रहा है। कार्यवाही नोडल संस्थान द्वारा की जानी थी । सडक निर्माण का कार्य विभाग द्वारा की जानी है ,त्वरित कार्यवाही हेतु निरंतर विभाग को भी सूचना दी जाती है।

विभाग का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, इकाई स्वतंत्र डी॰डी॰ओ॰ है, अत: बंद पड़े व्यवसाय के मशीनों से संबन्धित स्टॉक पंजिका का रखरखाव उनकी ज़िम्मेदारी थी। वर्कशॉप हेतु पर्याप्त सम्पर्क मार्ग पर बिना विचार किए संस्थान का स्थानांतरण, फिर मार्ग के अभाव मे रोजगारपरक व्यवसाय का बंद करना तथा मशीनों का अक्रियाशील पड़ा रहना तथा वर्ष 2005 से अब तक सम्पर्क मार्ग का निवारण न होना औद्योगिक प्रशिक्षण की अवधारणा के प्रति उदासीनता का प्रकरण पाया गया।

अत: प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर01:- इकाई द्वारा उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली -2017(संशोधित-2018) का उल्लंघन कर ₹2.04 लाख का फ़र्निचर आपूर्ति का ठेका गैर पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को प्रदान करना ।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली -2017(संशोधित-2018) एवं उत्तराखण्ड शासन वित्त(वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-07,सं0-30/**XXVII(7)32/2017** दिनाक-14/07/17 के नियम-34 के अनुसार 25000.00 से अधिक तथा **₹2.50** लाख तक की सीमा मे क्रय की जाने वाली सामग्री की खरीद-फरोख्त क्रय समिति की संस्तुतियों के माध्यम से की जाने वाली सामग्री का क्रय विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से गठित समुचित स्तर के तीन सदस्यो की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है **।** इस क्रय समिति मे अनिवार्य रूप से एक सदस्य वित्तीय सेवाओ या लेखापरीक्षा सेवाओ या अधिप्राप्ति क्रय प्रक्रिया मे विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी होगा, जो अधिप्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रियाओ और वित्तीय नियमों का परामर्श देगा **।** यह क्रय समिति दरो की युक्तियुक्तता, गुणवत्ता तथा विशिष्टता सुनिश्चित करने के लिये बाज़ार का सर्वेक्षण और उपयुक्त आपूर्तिकर्ता चिन्हित करेगी **।** क्रय आदेश देने की संस्तुति से पूर्व समिति के सदस्य संयुक्त रूप से निम्नानुसार एक प्रमाणपत्र अभिलिखित करेगे:- **।** प्रमाणित किया जाता है कि हमारा -(1)----------(2)----------(3) का व्यक्तिगत और सयुक्त रूप से समाधान हो गया कि जिस सामाग्री के क्रय की संस्तुति की गयी है वह अपेक्षित विशिष्टताओ और गुणवत्ता वाली है, उसका मूल्य वर्तमान बाज़ार दर के अनुसार और जिस आपूर्तिकर्ता की संस्तुति की गयी है वह विश्वसनीय और (प्रशनत) सामग्री की आपूर्ति करने मे सक्षम है **।** सम्प्रेक्षा द्वारा कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय ओधोगिक प्रशिक्षण संस्थान चम्बा जनपद-टिहरी गढ़वाल की आईएमसी मद के अन्तर्गत प्रभाकर फ़र्निचर ऋषिकेश से ₹2.04 लाख की **invoice no-24** दिनाक-18/01/19 द्वारा फ़र्निचर मद मे खरीदफरोख्त की गयी थी जिसमे संस्थान द्वारा 25000.00 से अधिक तथा **₹2.50** लाख तक की सीमा मे क्रय की जाने वाली सामग्री की खरीद-फरोख्त हेतु संस्थान स्तर पर गठित क्रय समिति के पाँच आपूर्तिकर्ताओ के **rate** एवं क्वालिटी एवं सामग्री की नमूना जांच हेतू बाज़ार **survey** किया गया था **।**जिसका विवरण निमन्वत है

क्रम संख्या	सामाग्री का नाम	**Quantity**	**Rate**	आपूर्तिकर्ताओ का नाम जिनकी सामाग्री का बाज़ार सर्वे किया गया	आपूर्तिकर्ताओ का नाम जिनसे कोटेशन प्राप्त किया गया	**RATE**	चयनित आपूर्तिकर्ता का नाम
01	**Computer chair**	01	5251 **,5841,2500,4602& 5015**	बालाजी देहरादून**,mittal, KWAlity,surbhi&kothari**	**Nagendra** फ़र्निचर**,agarwal** फ़र्निचर**&**प्रभाकर फ़र्निचर	3200**,2350 &1620**	प्रभाकर फ़र्निचर ऋषिकेश जिसने **GST-18%** एवं **TRANS**

							P0RTcharges शामिल
02	**Computer table**	01	5723,**6431,2350,5133,&4484**	**-D0-**	**-D0-**	2900,**3000 &2850**	
03	**Instructer chair**	01	19470,**6195,6000, 8484&8378**	**-D0-**	**D0**	6600,**7200 &5800**	
04	**Instructor table**	01	19470,**10030,6000 ,10620,10502**	**-D0-**	**-D0-**	7000,**4200 &3750**	
05	**PVC flooring**	**11*7 square 230feet**	**@38/**फीट,**40**फिट, **30**फिट,**37**फिट**&35** फिट	**-D0-**	**D0-**	30वर्ग फिट,**35** वर्ग फिट **&25** वर्ग फिट	

आगे संप्रेक्षा जांच मे पाया गया कि संस्थान द्वारा Quality furniture जिसके rate एवं क्वालिटी एवं सामग्री की नमूना जांच हेतू बाज़ार survey किया गया था तथा जिसने कुल ₹164,400.00 की धनराशि के फ़र्निचर के rate एवं quantity संस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये थे उनको disqualified करके प्रभाकर फ़र्निचर ऋषिकेश जिसने GST-18% एवं TRANSP0RT charges शामिल के ₹39592.00 की अतिरिक्त धनराशि के प्रभार शामिल को ₹ 2.04 लाख का ठेका प्रदान किया गया था, जिसका न तो संस्थान मे पंजीकरण था न ही जिससे बाज़ार सर्वे मे सामग्री की क्वालिटी एवं सामग्री की नमूना जांच rate, quantity आदि की रिपोर्ट संस्थान स्तर पर गठित क्रय समिति द्वारा प्राप्त की गयी थी, न ही उक्त क्रय समिति मे कोई वित्त का अधिकारी शामिल था I जो उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली-20**17(**संशोधित-2018) एवं उत्तराखण्ड शासन वित्त(वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-07,सं0-30/XXVII(7)32/2017 दिनाक-14/07/17 के नियम-34 का उल्लंघन था I इस ओर सम्प्रेक्षा द्वारा संस्थान से इंगित/पूछने पर संस्थान द्वारा अपने उत्तर मे अवगत कराया कि furniture की गुणवत्ता के आधार पर प्रभाकर फ़र्निचर ऋषिकेश को ठेका दिया गया था I सम्प्रेक्षा मे संस्थान का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि ठेके की प्रथम शर्त lowest rate एवं संस्था मे आपूर्तिकर्ता का पंजीकरण होना अनिवार्य है I प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं ।

STAN

प्रस्तर02:- विभाग की उदासीनता के कारण रु 4,84,680/- मूल्य की सामग्री एवं 200 के॰जी स्क्रैप की नीलामी ना किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियम के rule 218 modes of Disposal. (1) Surplus or obsolete or unserviceable goods of assessed residual value above rupees two lakhs should be disposed of by:

(a) Obtaining bids through advertised tender

(b) Public auction

Rule 221 Disposal at scrap value or by other modes. If a ministry or Department is unable to sell any surplus or obsolete or unserviceable item in spite of its attempts through advertised tender auction, it may dispose of the same at its scrap value with the approval of the competent authority in consultation with finance division. In case of ministry or Department is unable to sell the item even at its scrap value, it may adopt any other mode of disposal including destruction of the item in an eco-friendly manner.

प्रधानाचार्या आई॰टी॰आई॰ चंबा, टिहरी के लेखा अभिलेखो की निष्प्रयोज्य सामग्री एवं स्क्रैप से संबन्धित पत्रावली की जांच मे पाया गया की विभाग के अंतर्गत वर्ष 2017 से रु 4,84,680/-मूल्य एवं 200 के॰जी॰ स्क्रैप नीलामी हेतु निष्प्रयोज्य पड़े हुये है जबकि इस संबंध मे निदेशक, प्रशिक्षण विभाग उत्तराखंड हल्द्वानी के प्रत्रांक-16609-13/डीटीईयू/007/0073(05)बैठक /2017 दिनांक 28.06.2017 को सभी प्रधानाचार्या आई॰टी॰आई॰ को निष्प्रयोज्य / स्क्रैप की नीलामी के संबंध मे पत्र लिखा गया था परन्तु विभाग द्वारा विगत तीन वर्षो से निष्प्रयोज्य पड़ी सामग्री एवं स्क्रैप की नीलामी नहीं की गयी जिस कारण प्रतिदिन उसके मूल्य का लगातार Depreciation होता जा रहा है जिस कारण उक्त निष्प्रयोज्य सामग्री एवं स्क्रैप के नीलामी से होने वाली प्राप्ति मे लगातार कमी आ रही है इस के अतिरिक्त समय से नीलामी नहीं किए जाने के कारण शासन को प्राप्त होने वाले राजस्व की अप्रत्यक्ष हानि होती जा रही है ।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि इस संदर्भ मे कार्यवाही गतिमान है।

उत्तर मान्य नहीं है। क्योकि विभाग द्वारा विगत तीन वर्षो से निष्प्रयोज्य पड़ी रु 4,84,680/- मूल्य की सामग्री एवं 200 के॰जी स्क्रैप की नीलामी नहीं की गयी, जिस कारण लगातार उसके मूल्य का Depreciation होता जा रहा है

अत: रु 4.85 लाख मूल्य की सामग्री एवं 200 के॰जी स्क्रैप की नीलामी ना किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/वर्ष	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
यह इकाई की स्वतंत्र रूप से प्रथम लेखापरीक्षा है।			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या			अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	भाग-दो-अ	भाग-दो-ब	STAN			
यह इकाई की स्वतंत्र रूप से प्रथम लेखापरीक्षा है।						

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

------शून्य-------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चम्बा, टिहरी, उत्तराखंड** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः - शून्य
3. सतत् अनियमितताएः - शून्य
4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया था;

क्र. सं.	**नाम**	**पद नाम**	**अवधि**
01	श्री एनपी शर्मा	प्रधानाचार्य	4/13 से 31.3.14
02	श्री मनमोहन कुड़ियाल	प्रधानाचार्य	1.4.14 से 31.7.2017
03	श्री संजीव कुमार	प्रधानाचार्य	1.8.17 से 15.9.17
04	श्रीमति नीलम	प्रधानाचार्य	16.9.17 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चम्बा, टिहरी, उत्तराखंड** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (**ए०एम०जी०-I**), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, देहरादून - पिन-248195 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

ए०एम०जी०-I